बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 7 मार्च, 1986 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या-5, 6, 7	1—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या-4, 10, 911, 912, 913, 915, 916, 918 ।	10—28
अतारांकित प्रश्नोत्तर— ..	29—84
परिशिष्ट—प्रश्नों के लिखित उत्तर—नियम 89 (3) के अन्तर्गत	
दैनिक निबंध	85

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण का संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है ।

देय राशि संबंधित जिला पर्षद् को आवंटित करती है। जिला पर्षद् अथवा नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा ही इस प्रकार की नागरिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है।

तटबंध का निर्माण

1076. श्री हरि शंकर प्रसाद यादव—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी (चम्पारण) प्रखंड अदापुर में कुमिनिया पंचायत पसाह नदी के किनारे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1985 की बाढ़ में उक्त तटबंध ध्वस्त हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नदी पर तटबंध बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) कुमिनिया पंचायत के पास सिंचाई विभाग का कोई तटबंध नहीं है। अतएव तटबंध ध्वस्त होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

दैनिक निबंध

(शुक्रवार तिथि 7 मार्च, 1986 ई०)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर—

सं० 5	कोर्ट रूम तथा आवास की सुविधा ..	1—3
सं० 6	खर्च के अनुपात में कार्य नहीं होने का औचित्य ..	3—8
सं० 7	न्यायिक दंडाधिकारी का पदस्थापन	8—9
	तारांकित प्रश्नोत्तर	
सं० 4	अनुशंसा पर कारंवाई	10—13
सं० 10	दोषी पदाधिकारियों पर कारंवाई	13—16
सं० 911	राशि का भुगतान	17—18
सं० 912	मुआवजे का भुगतान	18—19
सं० 913	रिंग बांध का निर्माण	19—21
सं० 915	कटाव से सुरक्षा	21—23
सं० 916	स्लुईस गेट का निर्माण	23—25
सं० 918	नियुक्ति की घोषणा	25—28
	प्रश्नों के लिखित उत्तर [नियम 89 (3) के अन्तर्गत] तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 920, 921, 923, 925, 928, 930, 935, 936, 937, 942, 948, 949, 950, 955, 958, 959, 960, 965, 969, 981, 986, 991, 993, 994, 995, 996, 999, 1006, 1008, 1010, 1014, 1018. 1026, 1050, 1053, 1057, 1060, 1067, 1076	29—84

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि० स० मु० (एल० ए०) 79—III—475—6-2-1992—